when each case is likely to be finally settled?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHAJRAJ): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

727. **श्री इकबाल सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि बैंकों की सेवाओं में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए किसी सैल का गठन किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (घ) सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और व्यक्तिगत बैंकों का यह निरंतर प्रयास रहा है कि पंजाब सहित सारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिचालन में सुधार लाएं। ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों को समाधान के लिए संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंकों से उठाया जाता और सरकार को भी इसकी सूचना दी जाती है। ग्राहक सेवा के संबंध में गोईपोरिया समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न राज्यों में लोकपालों (ओमवड्समेन) की नियुक्ति से कुल मिलाकर ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है।

शिकायत निवारण तंत्र सभी बैंकों के प्रधान कार्यालय स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर और शाखा स्तर पर भी विद्यमान है। सभी बैंकों ने जनता की शिकायतों की सुनवाई के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शिकायतों के शीघ्र और कम खर्च में निपटान के लिए 14 लोकपाल नियुक्त किए हैं। बैंकों द्वारा लोक शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय को प्रस्तुत किए जाने वाले मासिक रिपोर्टों के माध्यम से भी लंबित शिकायतों की गहन निगरानी की जाती है।

सभी स्तरों पर अनुशासन लागू करने के लिए बैंक अपने आंतरिक अनुशासनिक प्रक्रिया को निरंतर सरल और कारगर बना रहे हैं। बैंकिंग सेवा में और सुधार लाने हेतु, बैंक अपने कर्मचारियों को ग्राहक उन्मुख प्रशिक्षण दिला रहे हैं और शाखाओं में आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण प्रारंभ कर रहे हैं ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाओं/सेवाओं से भली भांति परिचित कराने के लिए, बैंकों से कहा गया है कि वे "सिटिजन्स चार्टर" बनाएं जिससे आशा है कि शीघ्र ही सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

Waivers of Loans to TNCC Charitable Trust

728. SHRI R.K. KUMAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether any waiver of interest or principal has been granted to Tamilnadu Congress Committee Charitable Trust in respect of loans granted to it by nationalised bank(s) and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Deposits in Nationalised Banks

729. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that deposits in Nationalised Banks are insured in specified amounts;

(b) if so, what is the scheme, its operative date and present coverage in terms of types of deposits and amounts coverd;

(c) the organisation which is managing the scheme and latest undisbursed amount;

(d) the manner in which undisbursed amount has been deployed and administrative/operative expenditure each year; and

(e) whether deposits in private banks are covered by insurance; if so, the details thereof and if not, the reasons therefor and whether there is plan to cover deposits with private banks to protect the interests of depositors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Setting up of Regulatory Authorities

730. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the process of liberalisation regulatory authorities are being set up for various sector;

(b) if so, for which sectors regulatory authorities have been set up the anticipated/budgeted staff strength and annual expenditures on each of them;

(c) whether with the setting up of regulatory authorities there should be corresponding reduction in staff/expenditures of concerned Ministry/Organisation; and

(d) if so, what economies have been effected and if not, why and in what manner duplication of work/authority is contemplated to be avoided?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Yes, Sir.

(b) SEBI (Securities and Exchange Board of India) has been set up as regulatory authority for capital markets, TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) has been set up in the telecom sector. Tariff authority for Major Ports has been instituted for ports sector.

SEBI is an autonomous body, generating its own resources. For the initial capital expenditure, Government has been giving interest free loans to SEBI. TRAI has an anticipated/budgeted staff strength of 100 and the annual anticipated expenditure for 1997-98 is Rs. 7.8 crores. At present TRAI has a working staff strength of 40, Tariff Authority for Major Ports has staff requirement of 68 people. The present staff strength is 40. For the existing staff, an annual expenditure of Rs. 7.63 lakhs is envisaged in 1997-98.

(c) and (d) The regulatory authorities are being set up with the intention of discharging regulatory functions, thereby enhancing the quality of services being provided in different sectors. Departments/Organisations presently looking after both service and regulatory responsibilities, would now be able to focus greater attention to service provision only. Staff/expenditure aspects are contingent upon circumstances and not intrinsic to regulatory roles as such.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारिक घरानों की जाँच

731. **श्री राघवेन्द्र भंडारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत छः महीनों के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत किन-किन व्यापारिक घरानों के प्रतिष्ठानों की जांच की है;

(ख) क्या जांच के गड़बड़ी के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग) गत छः मास के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा दो व्यावसायिक घरानों अर्थात् मै० वोल्टास इन्टरनैशनल मुंबई, और मै० बफ्ना स्पिनिंग मिल्स एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोयम्बटूर के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं। निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जांच के लिए संगत दस्तावेज पकड़े गए है।